एफ. सं. डब्ल्यू-02/0038/2017-डीपीई (मजूरी कक्ष)-जी. एल.-1/21

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक: 20 जुलाई, 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सीपीएसईज़ के सीडीए पैटर्न के कर्मचारियों को डीए का भुगतान, 7वें सीपीसी वेतनमान में आहरित वेतन।

अधोहस्ताक्षरी को सीडीए वेतनमान आहरित कर रहे केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते को फ्रीज करने के संबंध में दिनांक 28.04.2020 के विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0038/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

2. 7वें सीपीसी वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को देय डीए 01.07.2021 से 17% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 28% किया जाएगा। इस वृद्धि में दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 को उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त किस्त शामिल है। 01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिए महंगाई भत्ते की दर 17% रहेगी।

3. महंगाई भत्ते के लिए किए जाने वाले भुगतान में शामिल 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए और 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

4. ये दरें केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू हैं जिनका वेतन लोक उद्यम विभाग के दिनांक 17.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.2016 से संशोधित किया जा चुका है।

5. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,
भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों के वित्तीय सलाहकार ।
4. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव